I. Report and Accounts (1997-98) of the Tobacco Board, Guntur and related papers.

II. Report and Accounts (1997-98) of the Indian Council of Arbitration, New Delhi and related papers.

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): Sir, I lay on the Table—

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of section 19 and sub-section (3) of section 22 of the Tobacco Board Act, 1975:—

(a) Annual Report and Accounts of the Tobacco Board, Guntur (Andhra Pradesh), for the year 1997-98, together with the Audit Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library *See* No. LT-2468/99)

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Thirty-third Annual Report and Accounts of the Indian Council of Arbitration, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(Placed in Library *See* No. LT-2608/99)

I. Report and Accounts (1997-98) of the Employees' State Insurance Corporation, New Delhi and related papers.

II. Notifications of the Ministry of Labour.

III. Report and Accounts (1997-98) of the Employees' Provident Fund organisation, New Delhi and related papers.

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जाटेया): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 1997-98 के वर्ष के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वार्षिक लेखे, और उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखी गई देखिए सं० एल०टी०-2588/99]

II. (क) लोह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 की धारा-12 की उपधारा (4) के अधीन लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० 51(अ) दिनांक 27 जनवरी, 1999 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

(ख) चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा, 16 की उपधारा (4) के अधीन चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1999